बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 151768 पटना, दिनांक 12-06-13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(दि0नि0)-102-43/2012

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
कैमूर (भभुआ) ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत मार्गदर्शन देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 341 दिनांक-17.04.13 के संदर्भ में कहना है कि इसी प्रकार के मामले में उप विकास आयुक्त, दरभंगा द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन का समाधान विभागीय पत्रांक-146067 दिनांक-18.04.13 द्वारा किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न है । तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

12/6/13

(संजय कृष्ण)
विशेष कार्य पदाधिकारी

E:\D Drive\Mukesh\IAY 839 क.doc

(41)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 14064 पटना, दिनांक 18/4/13

ग्रा.वि.-5/इं.आ.यो.(दि.नि.)-102-43/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

दरभंगा ।

विषय :- इंदिरा आवास योजना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1002 दिनांक 02.04.13 का संदर्भ किया जाय । इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी की पात्रता इस आधार पर होती है कि वह किस पंचायत का मूल निवासी है । इस पत्र में संदर्भित लाभार्थी जिस ग्राम पंचायत के मूल निवासी हैं, उस ग्राम पंचायत के लक्ष्य के विरूद्ध इन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।

2. भौतिक रूप से घर उस पंचायत क्षेत्र के बाहर निकट के अन्य पंचायत में भी अवस्थित हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति का समुचित कारण होना चाहिए । तदनुसार इन लाभान्वितों को, जो जिस पंचायत के मूल निवासी हैं, उनसे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभ दिया जाय ।

विश्वासभाजन

12/4/13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव